



ई-मेल/स्पीड पोस्ट
केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
18 सांस्थागत क्षेत्र शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN(HQ)
18, Institutional Area,
Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

एफ.7-3/84- केविसं (सतर्कता) / 1639-1646.
कार्यालय आदेश

दिनांक:- 10 जून 2025

इस कार्यालय के सम-संख्यक आदेश दिनांक 06.03.2025 द्वारा श्री सोमित श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, (मुख्यालय) नई दिल्ली को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में तीन माह के लिए या अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, पार्ट टाइम मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

सतर्कता मैनुअल के अध्याय-1 के पैरा 3.9 के नियम के तहत श्री सोमित श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), की पार्ट टाइम मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में दिनांक 10.06.2025 से अगले तीन माह अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, विस्तारित किया जाता है।

उपरोक्त अवधि के दौरान सतर्कता संबंधित सभी मामले श्री सोमित श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली को ही संबोधित किए जाएंगे।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(लाल बहादुर शर्मा)

सहायक आयुक्त (सतर्कता)

वितरण:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. श्री सोमित श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के सभी अधिकारी/अनुभाग को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, केविसं/आंचलिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में उपरोक्त आदेश का वितरण करें।
5. प्रभारी, EDP Cell, केविसं(मुख्यालय), नई दिल्ली को इस आशय के साथ कि वे उक्त आदेश को केविसं(मुख्यालय), नई दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. निदेशक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन, GPO Complex, ब्लॉक-A, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
7. अनुभाग अधिकारी, (UT-2)), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
8. गार्ड फाइल।